



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28082025-265773
CG-DL-E-28082025-265773

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3835]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 28, 2025/भाद्र 6, 1947

No. 3835]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 28, 2025/BHADRA 6, 1947

विदेश मंत्रालय

(विदेशी रोजगार एवं उत्प्रवासी महासंरक्षक प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अगस्त, 2025

का.आ. 3940(अ).—केंद्र सरकार, उत्प्रवासन अधिनियम, 1983 (1983 का 31) की धारा 41 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ईरान जाने वाले भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा एवं संरक्षण के मद्देनजर, अधिसूचना का.आ. 2161(अ) दिनांक 28.12.2006 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 22 के प्रचालन से उन्हें प्रदान की गई छूट को एतद्वारा वापस लेती है।

[फ़ा. सं. जेड-11025/33/2025-ओईपीजीई (पॉलिसी)]

सुरिंदर भगत, संयुक्त सचिव एवं उत्प्रवासी महासंरक्षक

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
(Overseas Employment and Protector General of Emigrants Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th August, 2025

S.O. 3940(E).—In exercise of powers conferred by the sub-section (1) of Section 41 of the Emigration Act, 1983 (31 of 1983), the Central Government, with a view to protect and safeguard the interests of citizens of India going to Iran, hereby withdraws the exemption granted to them from the operation of Section 22 of the said Act vide notification S.O. 2161(E) dated 28.12.2006.

[F. No. Z-11025/33/2025-OEPGE(Policy)]

SURINDER BHAGAT, Jt. Secy. & Protector General of Emigrants